निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 वैशाख 1932 (श0)
(सं0 पटना 297) पटना, बुधवार, 28 अप्रील 2010

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

28 अप्रील 2010

सं0 एल0जी0-1-08/2010/लेज-144—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 24 अप्रील 2010 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मजहर इमाम,
सरकार के प्रभारी सचिव।

[बिहार अधिनियम 18, 2010]

बिहार सम्पति विरूपण निवारण (संशोधन), अधिनियम 2010

बिहार सम्पति विरूपण निवारण अधिनियम 1985 का संशोधन करने के लिये अधिनियम ।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरम्भ।—(1) यह अधिनियम बिहार सम्पति विरूपण निवारण (संशोधन) अधिनियम 2010 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. बिहार अधिनियम 5, 1987 की धारा–3 में संशोधन।—उक्त अधिनियम की धारा–3 की उप–धारा (2) के बाद निम्नलिखित एक नई उप–धारा (3) जोड़ी जायेगी :–

"(3) किसी सम्पति का स्वामी अथवा अधिभोगी, लिखित सहमति देने के पश्चात्, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, जो, वैसा चुनाव, जिन पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 लागू होता हो, चाहे स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में अथवा किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे हो, अपनी निजी सम्पति का उपयोग, चुनाव में प्रचार करने के प्रयोजनार्थ, उस अवधि, में जो चुनाव आयोग द्वारा उस चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होने हेतु अधिसूचित किया जाय, करने की अनुमति दे सकेगा ।

इस उप–धारा के प्रयोजनार्थ निजी सम्पति से अभिप्रेत है वैसी सम्पति जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के स्वामित्व अथवा वैध कब्जे में हो और किसी भी प्रकार से सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए उसका उपयोग नहीं किया जाता हो ।"

28 अप्रील 2010

सं0 एल0जी0 1-08/2010/लेज-145—बिहार विधान मंडल द्वारा यथा-पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 24 अप्रील 2010 को अनुमत बिहार सम्पत्ति विरूपण निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2010 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मजहर इमाम,
सरकार के प्रभारी सचिव।

[Bihar Act 18, 2010]

THE BIHAR PREVENTION OF DEFACEMENT OF PROPERTY (AMENDMENT), ACT, 2010

AN

ACT

TO AMEND THE BIHAR PREVENTION OF DEFACEMENT OF PROPERTY ACT, 1985

BE it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Sixty one year of the Republic of India as follows :-

1. *Short title, extent and commencement* .—(1) This Act may be called the Bihar Prevention of Defacement of Property (Amendment) Act, 2010.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. *Amendment in section-3 of the Act, Bihar Act 5, 1987.*— The following new sub-section (3) shall be added after sub-section (2) of section-3 of the said Act :-

"(3) The owner or the occupier of a private property, after giving written consent, may permit, any person or persons, contesting an election, to which The Representation of The People Act 1951 is applicable, either as

an independent candidate or on the symbol of a recognized political party, to use his private property for the purpose of election campaign during the period notified by the Election Commission for the completion of the process of that election.

For the purpose of this sub-section private property means property which is owned or in lawful possession of a person or persons and is not used for any public purposes what so ever."

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 297-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in